

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
निःशक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र (नवीन / नवीनीकरण)

1— छात्र/छात्रा का पूरा नाम	लिंग
2— पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम	जाति
3— निवास स्थान का पूरा पता	

विकलांगता दर्शाता
 छात्र/छात्रा का
 नवीनतम फोटो

-
- 4— शैक्षणिक संस्थान का नाम
- 5— निःशक्तता का प्रकार प्रतिशत
- 6— जन्मतिथि
- 7— कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश लिया गया है
- 8— पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय
- 9— गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का प्रतिशत

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण और सत्य है। छात्रवृत्ति हेतु निःशक्तता प्रमाण—पत्र और अभिभावक का आय का प्रमाण—पत्र संलग्न है।

स्थान :

दिनांक :

छात्र/छात्रा का पूरा नाम

कक्षा

शैक्षणिक संस्था का नाम

संस्था प्रमुख का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी

आत्मज श्री/श्रीमतीद्वारा संस्था में दिनांकको
 कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश लिया गया है। छात्र/छात्रा को नियमानुसार
 छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

स्थान :

दिनांक :

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

संलग्न करना अनिवार्य है –

- अ. गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षाफल की छायाप्रति। ब. मेडिकल प्रमाण—पत्र।
- स. आय प्रमाण—पत्र।
- द. अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग होने की स्थिति में जाति प्रमाण—पत्र।